अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 48 - MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*	*6,00*	*6,00*	..	*-6,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*6,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7240,20,00	7240,22,00	2685,00,28	-4555,21,72
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4555,21,52
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1,80,00	1,55,32	-24,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹6.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा तथा अंततः उसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹6.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	3244.00			
पू.	S.	1.00	3945.76	3945.67	-0.09
पु.	R.	-700.76			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	720776.00			
पू.	S.	1.00	264554.72	264554.61	-0.11
पु.	R.	-456222.28			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "इंजीनियरी उद्योग" –

(क) "अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग – पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास" – ₹8088.60 लाख की बचत (₹27140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "परिवहन उपकरण उद्योग – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" – ₹106793.93 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹318434.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Engineering Industries" -

(a) "Other Industrial Machinery Industries - Development of Capital Goods Sector" - saving of ₹8088.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27140.00 lakhs); and

(b) "Transport Equipment Industries - Development of Automobile Industry" - saving of ₹106793.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹318434.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव/मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals/demand from implementing agencies.

(खा) "सामान्य – उद्योगों को सहायता – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" – ₹341236.86 लाख की बचत (₹375000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बिक्री और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव/मांग प्राप्त होने की वजह से ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग को प्रोत्साहन से जुड़े उत्पादन में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "General - Assistance to Industries - Development of Automobile Industry" - saving of ₹341236.86 lakhs (against the sanctioned Provision of ₹375000.00 lakhs) was due to reduction of production Linked Incentives to Automobiles and Auto Component Industry owing to lower sales and receipt of less proposals/demand from implementing agencies.

2. उपर्युक्त बचतें (₹700.76 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि, दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – भारी उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹700.67 लाख था।

2. The above savings were partly (₹700.76 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Heavy Industries". Actual excess, however, was ₹700.67 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹20.00 लाख का प्रावधान बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty heads.